

10/11/14

पत्रवाणी द्वारा प्रकाशित जावे
 के अंतर्गत अधिनियम अन्तर्गत कोर्ट
 इन्फेन्स के पैरा 106/11, 106/14, 107, 108 की
 उपबन्ध उपरि लिखित है। उपरि लिखित
 पत्रवाणी को सुना गया।
 पत्रवाणी का अन्वयण किया
 गया जिसके प्राचरिण के द्वारा
 106/11, 106/14, 107, 108 की
 अन्वयण अन्तर्गत 150 मीटर
 की दूरी तक उपरि लिखित
 को अन्वयण सुनाया जाकर
 अधिनियम को अन्वयण किया
 कोर्ट कार्य नहीं करने बाबत बाबत

पत्रवाणी



